श्रीगंगानगर

81/14

A7/1

मुन्तकिली प्रकरण सं0 81/2014 अनवानी 1–जितेन्द्र कुमार पुत्र रामकुमार 2–प्रकाश कौर पत्नि रामकुमार जाति जाट निवासी 17बीबी तहसील पदमपुर बनाम 1–श्री रामकुमार पुत्र हरचन्द जाट निवासी 17 बीबी तहसील पदमपुर 2–मोहनलाल पुत्र शिवलाल जाति ब्राम्हण निवासी सांवतसर तहसील पदमपुर 3–हंसराज पुत्र हेमाराम जाट निवासी मोटासर खुनी तहसील [illegible] 4– राज्य सरकार जरीए तहसीलदार पदमपुर 5– उपजिलाधीश घड़साना

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

12.12.2015

आज यह पत्रावली लोक अदालत में पेश हुई। प्रार्थीयान के अभिभाषक श्री इन्द्रजीत बिश्नोई उपस्थित है। अप्रार्थी सं0 1 रामकुमार के वारिसान के अभिभाषक श्री मोहनलाल माहर उपस्थित है। शेष अप्रार्थीगण उपस्थित नही है। दोनो पक्षो की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थीगण के अभिभाषक का कथन है कि पूर्व में उपखण्ड अधिकारी श्रीकरनपुर कैम्प पदमपुर के न्यायालय में लंबित दावा सं0 283/2003 जितेन्द्रकुमार बनाम रामकुमार में प्रार्थी जितेन्द्र कुमार द्वारा पीठासीन अधिकारी पर राजनैतिक प्रभाव का आरोप लगाकर अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना की गई थी जिसे न्याय हित में स्वीकार कर इस न्यायालय के आदेश दिनांक 09.04.2007 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी घड़साना को मुन्तकिल किया गया था और अब पूर्व उपखण्ड अधिकारी श्रीकरनपुर कैम्प पदमपुर का भी अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है और पक्षकारान पदमपुर के ही रहने वाले है। उनको भी पदमपुर में पैरवी करने की सुविधा होगी। इसलिए अप्रार्थीयान को कोई ऐतराज नही हो सकता। इसलिए वर्तमान में उपखण्ड अधिकारी घड़साना के न्यायालय में लंबित वाद सं0 224/2007 को उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के न्यायालय में सुनवाई एवं निस्तारण के लिए वापिस मुन्तकिल किया जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थी रामकुमार के वारिसान विजयलक्ष्मी, इन्दु, गुलाब, कुमलेश, संतोष की ओर से श्री मोहनलाल माहर अभिभाषक का कथन है कि उन्हे पदमपुर में प्रकरण मुन्तकिल किये जाने में कोई आपति नही है क्योंकि पक्षकारान पदमपुर के है इसलिए पैरवी हेतु सभी को सुविधा रहेगी।

मैने उभय पक्षो के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण ने उपखण्ड अधिकारी घड़साना के न्यायालय में लंबित वाद संख्या 224/2007 जितेन्द्र कुमार बनाम रामकुमार को प्रार्थीगण ने सभी पक्षकार तहसील पदमपुर के होने और पैरवी की सुविधा की दृष्टि से इस प्रकरण को वापिस उपखण्ड अधिकारी पदमपुर के न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने की प्रार्थना की है। अप्रार्थी रामकुमार के वारिसान के अभिभाषक ने भी इसमें कोई आपति जाहिर नही की है। चूंकि प्रकरण के पक्षकारान तहसील पदमपुर व करनपुर के है और पूर्व में पीठासीन अधिकारी पर राजनैतिक प्रभाव का आरोप लगाया गया था किन्तु इस प्रकरण को केवलमात्र न्याय हित में उपखण्ड अधिकारी घड़साना के न्यायालय में मुन्तकिल किया गया था। चूंकि पूर्व पीठासीन अधिकारी श्रीकरनपुर कैम्प पदमपुर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो चुका है और पक्षकार तहसील पदमपुर व करनपुर क्षेत्र के है इसलिए पक्षकारो की पैरवी की सुविधा की दृष्टि से इस प्रकरण को न्याय हित में उपखण्ड अधिकारी पदमपुर के न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना उचित है।

सत्य प्रति
प्रभारी अधिकारी
रिकार्ड शाखा कलेक्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

81/14



अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का मुन्तकिली प्रा0 पत्र स्वीकार किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी घड़साना के न्यायालय में लंबित वाद सं0 224/2007 अनवानी जितेन्द्रकुमार बनाम रामकुमार को उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के न्यायालय में सुनवाई एवं निस्तारण हेतु मुन्तकिल किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी घड़साना को आदेश दिया जाता है कि वे उक्त प्रकरण को शीघ्र उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर को भिजवावें। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, घड़साना व उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 12.12.2015 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्य प्रति
प्रभारी अधिकारी
रीडर शाखा कलैक्टर
श्री गंगानगर

(पी. सी. किशन)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर